cgtmse

सन्दर्भ सं. सीजीटीएमएसई / 44/208 01 जनवरी 2024

सभी पात्र अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय
कंपनियां- (सीजीएससीएल सीजीएस - III)

परिपत्र: 236/2023- 24

महोदया /प्रिय महोदय,

वार्षिक गारंटी शुल्क संरचना के तहत सह-उधार के लिए ऋण गारंटी योजना (सीजीएससी एल – सीजीएस III)

कृपया सीजीएससीएल-सीजीएस III के तहत वार्षिक गारंटी शुल्क संरचना में संशोधन विषय पर हमारे 31 मार्च, 2023 के परिपत्र संख्या 223/2022-23 और गारंटी की सीमा को ₹ 200 लाख से बढ़ाकर ₹ 500 लाख करने के संबंध में हमारे द्वारा बाद में जारी 18 दिसंबर, 2023 के परिपत्र संख्या 235/2023-24 का संदर्भ लें । तदनुसार, सीजीएससीएल-सीजीएस III के तहत अद्यतन शुल्क संरचना नीचे दी गई है:

स्लैब (₹)	मानक दर * (%प्रति वर्ष)
0-10 लाख	0.37
10 लाख से ऊपर 50 लाख तक	0.55
50 लाख से ऊपर 1 करोड़ तक	0.60
1 करोड़ से ऊपर 2 करोड़ तक	1.20
2 करोड़ से ऊपर 5 करोड़ तक	1.35

- वार्षिक गारंटी शुल्क पहले वर्ष के लिए गारंटीकृत राशि पर और ऋण सुविधा की शेष अवधि के लिए बकाया राशि पर लिया जाएगा ।

उपर्युक्त शुल्क संरचना 01 जनवरी, 2024 को या उसके बाद सदस्य ऋण दात्री की पात्र जोड़ी द्वारा स्वीकृत सभी ऋणों के लिए लागू होगी।

सीजीएस-III के अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। कृपया इस परिपत्र की विषय-वस्तु को अपने सभी कार्यालयों के ध्यान में लाएँ ।

भवदीय,

ह/-
(धीरज कुमार)
उप महाप्रबन्धक